

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा०पं०— अलमउ

वि०ख०— ओराई

जनपद— मी० मदीही

ग्राम पंचायत में दिनोंक.....को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया—

1— ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है—

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु०जा० / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन) उ०प्र०	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न०
1	सुकुन्द लाल	अनु०जा०	35 अध्यक्ष	7991894481
2	राघवेंद्र पाठडेय	सामान्य	38 सचिव	9555322424
3	शिवप्रसाद सुक्ला	सामान्य	45 कोषाध्यक्ष	9956564487
4	मीला देवी	अनु०जा०	35 सामान्य सदस्य	9125041349
5	शकेश विन्द	अनु०जा०	38 सामान्य सदस्य	8303640453
6	मुनरा देवी	अनु०जा०	46 सामान्य सदस्य	8009293631
7	नीलम देवी	अनु०जा०	28 सामान्य सदस्य	8104592352
8	मीला शंकर सरोज	अनु०जा०	48 सामान्य सदस्य	9129689439
9	विनेश	अनु०जा०	45 सामान्य सदस्य	9115360518
10	मनोरमा देवी	सामान्य	42 सामान्य सदस्य	9115621387
11	जिन्ता विरयकर्म	पिछड़ा वर्ग	44 सामान्य सदस्य	8237016162
12	रामलखन	पिछड़ा वर्ग	40 सामान्य सदस्य	
13	फौजदार	पिछड़ा वर्ग	45 सामान्य सदस्य	
14	संजय सिंह	सामान्य	42 सामान्य सदस्य	7521872186
15	मीलानाथ	अनु०जा०	50 सामान्य सदस्य	7393934280

2— पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति क निरीक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अंगूठा
1	मृकुण्डल	अध्यक्ष	Mukundal
2	राष्ट्रबन्धु पांडेय	सचिव	
3	शिवप्रसाद शुक्ला	कोषाध्यक्ष	
4	मीला देवी	सामान्य सदस्य	
5	राकेश विन्ड	सामान्य सदस्य	राकेश
6	मुनरा देवी	सामान्य सदस्य	मुनरा देवी
7	नीलम देवी	सामान्य सदस्य	नीलम देवी
8	मोलाशंकर शर्मा	सामान्य सदस्य	
9	दिनेश	सामान्य सदस्य	दिनेश
10	मनोरमा देवी	सामान्य सदस्य	मनोरमा
11	चिन्ता विश्वकर्मा	सामान्य सदस्य	चिन्ता विश्वकर्मा
12	राम लखन	सामान्य सदस्य	राम लखन
13	फौजदार	सामान्य सदस्य	फौजदार
14	संजय सिंह	सामान्य सदस्य	संजय सिंह
15	मीला नाथ	सामान्य सदस्य	मीला नाथ